

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1994 सत्र (क)

## दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 23 फरवरी, 1994 (फाल्गुन 4, 1915)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकता वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे :-

- (1) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 1 सन् 1994)
- (2) मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग (निरसन) अध्यादेश, 1994 (क्रमांक 2 सन् 1994)

### 3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री मोहन लाल चौधरी, पशुपालन मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम अधिनियम, 1982 (क्रमांक 37 सन् 1982) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 एवं वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सत्यदेव कटारे, राज्यमंत्री गृह, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन लिमिटेड का नवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.

### 4. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 1993 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

### 5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

### 6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री प्रभुसिंह ठाकुर, सदस्य, शिवपुरी जिले के नरवर विकासखण्ड में दूधित पेयजल से बीमारी फैलने की ओर लोक स्वास्थ्य यात्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामलखन शर्मा, श्री बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रदेश के अनेक भागों में परीक्षा केन्द्र नहीं खोलने से छात्रों को हो रही असुविधा की ओर शालेय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 7. सभापति तालिका की घोषणा

### 8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सुरेन्द्र वर्मा, सदस्य -

जिला देवास तहसील सोनकच्छ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित किये जाने,

(2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य -

ग्राम सेजहरी तहसील व्यौहारी, जिला शहडोल में सिंचाई लिफ्ट इरीगेशन प्रणाली अथवा नलकूप खनन, द्वारा व्यवस्था हेतु,

# मध्य प्रदेश विधानसभा

- 2 -

(3) श्री ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य -

- (क) जबलपुर शहरी क्षेत्र में भूमिगत नाली योजना लागू किये जाने,
- (ख) जबलपुर रानीताल क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किये जाने, तथा
- (ग) ग्राम बिजौरा विकासखंड शहपुरा में हाईस्कूल खोलने,

(4) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य -

- (क) जिला देवास तहसील कन्नौद के ग्राम सिरगुना में मिडिल स्कूल खोलने,
- (ख) जिला देवास, तहसील कन्नौद के ग्राम रतवाया में पानी की टंकी का निर्माण करवाने,
- (ग) ग्राम चपलासा तहसील कन्नौद जिला देवास में दतनी नदी पर रपटा एवं सड़क निर्माण करवाने,
- (घ) जिला देवास तहसील कन्नौद के ग्राम रतवाया कन्नौद रोड़ के समीप पुलिया बनाने,
- (ङ) जिला देवास तहसील कन्नौद के ग्राम सिरगुना में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, तथा
- (च) ग्राम सिरगुना से कन्नौद तक पक्की सड़क बनवाने,

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य -

- (क) जिला भिंड के ग्राम कसल, तहसील लहार में विद्युत लाइन के लिये ट्रांसफार्मर लगाने,
- (ख) जिला भिंड, दमोह आलमपुर में कृषि उपज मंडी स्थापित करने,
- (ग) जिला भिंड ग्राम कुरधर तहसील लहार में शाला भवन खोले जाने,
- (घ) जिला भिंड ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील लहार में पहुंचमार्ग निर्माण कराये जाने,
- (ङ) जिला भिंड ग्राम असनेर तहसील मिहोना में सिंचाई हेतु ट्र्यूबवेल का उत्खनन कराने, तथा
- (च) जिला भिंड तहसील लहार में माध्यमिक शाला भवन निर्माण किये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

## 9. शासकीय विधि विधेयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य वित्त आयोग विधेयक, 1994 (क्रमांक 1 सन् 1994) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे.

निर्धारित  
समय

## 10. नियम 139 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश के अनेक जिलों में ओला वृष्टि से उत्पन्न संकट तथा राहत कार्यों के संबंध में सर्वश्री रामलखन शर्मा, ताराचंद साहू, जालम सिंह पटेल, नेमीचंद जैन, 30 मि. गिरिराज मण्डलोई, रामलखन सिंह, बच्चन नायक, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

भोपाल :

दिनांक : 22 फरवरी, 1994

शीला खन्ना

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा